Title:Need to ensure devolution of financial and administrative powers to Panchayati Raj institutions in the country.-laid

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): कई राज्यों में पंचायती राज सत्ता का विकेंद्रीकरण सूचकांक 36 से 41 प्रतिशत तक है । पंचायती राज विकेंद्रीकरण कानून को पारित हुए तीन दशक हो गए हैं, परन्तु आज तक पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं नहीं बन सकी हैं । तात्पर्य यह है कि आज तक ग्राम सरकार, ब्लाक सरकार, या जिला सरकार नहीं बन सकी है । अगर बनीं है तो राज्य सरकार और उनकी नौकरशाही की अनुबंध मात्र हैं ।

देश की लोकप्रिय सरकार जिसनें कई ऐतिहासिक फैसले लेकर जन आकांक्षाओं को फलीभूत किया है, देश के नागरिकों को स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया है, ऐसी जनप्रिय सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि देश के ग्रामीण स्तर को विकसित और स्वावलंबी बनाने हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को पंचायत राज के विकेंद्रीकरण कानून के तहत वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकारों का सौ प्रतिशत हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठायें ।